कार्यालय, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, देवघर।

(समग्र शिक्षा अभियान)

अति अल्पकालीन निविदा

निविदा संख्या...................... दिनांक.................................

राज्य परियोजना निदेशक, झा0शि0प0प0,रांची के पत्रांक JEPC/MRE/33/111/2011-12(Part-2)/1995 दिनांक 05.12.2018 के आलोक में देवघर जिला में अवस्थित सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत (वर्ग 01 से 08) के बीच स्वेटर तथा जूता–मौजा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वेटर तथा जूता–मौजा क्रय के लिये दिनांक 18.01.2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, देवघर, म0 वि0 पुराना मीना बाजार कैम्पस, देवघर में मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 18.01.2019 के अपराह्न 4:00 बजे कार्यालय, उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, समग्र शिक्षा अभियान, देवघर की अध्यक्षता में समाहरणालय, देवघर के सभागार क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वेटर तथा जूता–मौजा क्रय हेतु प्राप्त आवंटन के अनुसार स्वेटर तथा जूता–मौजा क्रय की जानी है। क्रय किये जानेवाले स्वेटर एवं जूता–मौजा का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ग का नाम	सामग्री का नाम	संख्या	अधिकतम दर प्रति अदद
कक्षा 1 से 5	स्वेटर तथा जूता–मौजा	117135	250.00 रू0
कक्षा 6 से 8	स्वेटर	37874	150.00 रू0

तकनीकी शर्तें :–

1. निविदादाता को तकनीकी लिफाफे में रूपये 350000/– (तीन लाख पचास हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट /बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, देवघर के नाम से प्रतिभूति रकम के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को GST निबंधन प्रमाण–पत्र, PAN कार्ड की छाया प्रति, GST का अद्यतन रिटर्न तथा आयकर रिटर्न विगत 3 वर्ष की स्व–अभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को झारखंड राज्य के किसी भी जिले में काली सूची में दर्ज नहीं रहने के संबंधी स्व–घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को उत्तम गुणवत्ता युक्त वाली सामग्री का एकल दर ही निविदा में देना अनिवार्य होगा।
5. सफल निविदादाता को निधि के अभाव में भुगतान के लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा और न ही न्यायालय के शरण में जाने की छूट होगी।
6. निविदा दाता को निविदा का निस्तारण के समय सामग्रियों का नमूना देना अनिवार्य होगा। इसके लिये उन्हें अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
7. सफल निविदा दाता को सभी समानों की आपूर्त्ति संबंधित विद्यालयों में आदेश निर्गत तिथि के एक पक्ष के अंदर करना होगा जिसके लिये अलग से परिवहन व्यय अथवा हथालन व्यय देय नहीं होगा।
8. सफल निविदा दाता को समानों की आपूर्त्ति के पश्चात् संबंधित मद में आवंटन/निधि प्राप्त होने पर राशि का भुगतान किया जायेगा।
9. सामग्रियों की गुणवत्ता परिणाम एवं दर पर विचार करते हुए क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

वित्तीय शर्तें :–

1. निविदादाता को तकनीकी बीड संबंधी कागजात अलग से मुहरबंद लिफाफे में तथा वित्तीय बीड अलग लिफाफे में बंद कर क्रय समिति को उपलब्ध कराना है।

अन्य शर्तें :–

1. निविदा का निर्णय स्वेटर तथा जूता–मौजा की गुणवत्ता एवं दर के आधार पर किया जायेगा।
2. निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक 18.01.2019 को 04:00 बजे अपराह्न में आयोजित क्रय समिति की बैठक में नमूना स्वेटर तथा जूता के साथ भाग लेना अनिवार्य होगा। निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का एक ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना जिला क्रय समिति के समक्ष लाना होगा।
3. निविदा के आधार पर निर्धारित दर पर आपूर्त्ति आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर जिला/प्रखंड संसाधन केन्द्र अंतर्गत सभी विद्यालयों में पहुँचा कर आपूर्त्ति करना अनिवार्य होगा। इसके लिये मार्ग व्यय/परिवहन व्यय देय नहीं होगा तथा भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार से प्राप्त रसीद प्रमाण–पत्र कराना अनिवार्य होगा।
4. स्वेटर तथा जूता–मौजा की आपूर्त्ति निर्धारित समय पर नहीं करने पर भुगतान के समय आपूर्त्ति किए जाने वाली सामग्री के कुल मूल्य का 10% की राशि कटौती कर ली जायेगी तथा काली सूची में नाम डालने की भी कार्रवाई की जायेगी।
5. स्वेटर तथा जूता–मौजा का क्रय सरकारी नियमों एवं निदेशों के तहत् किया जायेगा।
6. निविदा को स्वीकृत या रदद करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
8. सफल निविदादाता को सभी सामग्री की आपूर्त्ति संबंधित विद्यालयवार, कक्षावार पैंकेटिंग करते हुए आदेश निर्गत की तिथि के एक पक्ष के अंदर करना होगा, जिसके लिये अलग से परिवहन एवं हथालन व्यय की राशि देय नहीं होगा।
9. आदेश निर्गत किये जाने के समय बच्चों की प्रखण्डवार, कक्षावार, विद्यालयवार संख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

विशेष जानकारी के लिये जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यालय, झारखंड शिक्षा परियोजना, देवघर, म०वि०पुराना मीना बाजार कैम्पस से कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।

9/1/19

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

10/01/19

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ,
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

10/1/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,
देवघर।

ज्ञापांक SSA/41 /देवघर, दिनांक 10/1/19 /

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों (किन्हीं एक राष्ट्रीय संस्करण तथा दो झारखण्ड संस्करण) में दो दिनों के अंदर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना को देवघर जिला के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

9/1/19

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ,
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

10/1/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,
देवघर।

JEPC/SSA/DEOGHAR